	day filter for the second the sec
100	पानी एक हिंदी लग तामा प्राचन कि हिंदी कि एक कि कि कि एक कि एक कि कि कि एक कि कि कि एक कि कि कि एक कि कि एक कि कि एक कि कि एक कि कि कि एक कि कि कि एक कि
7	तीन भोरतना भी-भे
वत्र सं0	नीएडा/भ0प्र0/वी0पी0 - रुप्ति । १०८ । विस्तांक १८/११
सेवा में.	t Helifell Reference 9-3 to the second secon
क्षा म,	s is till the the primer from the point is a series was for an analysis water
much R	हात होते के प्रस्ति हुए पर के क्षार स्थान है करात समान कर के प्राप्ति के स्थाप के क्षार के क्षार के कि
	A - 2 & B I have a fellow to have best
	file for engines spots and the control of the contr
	2 29/1/62 29/1/1
भवन नि	आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29 12 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित के साथ स्वीकृति
	ो जाती है ।
1.	यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से जिल्ला कि वैध है।
2.	मानिधर्त्रों की इस स्वीकृति से इस भुखण्ड से संवधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा ।
3.	भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4.	यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी विना आपत्ति के देय होगा ।
5.	दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पत्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर वढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो ।
6.	विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7.	आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8.	चाहिए। स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीिफकेशन नौएडा भवन नियमावली वे नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आंवटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान् तहखाने का भवन प्रकृष्ठि विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के वाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा रखीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
9.	आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यश् स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा ।
10.	सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं वनाये जायेगें । वह कार्य अपनी ही भू

आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग

पर करें।

11.